

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून
पत्रांक: न-20/असुव्य (954)/19-20 दिनांक: सितम्बर 02, 2019

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
रेनसेन्स द्रोन स्कूल (RENAISSANCES DRONE SCHOOL)
डोईवाला, ऋषिकेश
जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:- अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 81053322 दिनांक 28.08.2019 के सम्बन्ध में।

आपके विद्यालय का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 02-09-2019 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश की निरीक्षण आख्या दिनांक 02-09-2019 के आधार पर आपके विद्यालय हेतु दिनांक 02-09-2019 से 01-09-2020 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

M. Kumar
MANAGER
RENAISSANCE DRON SCHOOL
DOIWALA, DEHRADUN (U.K.)

Abbas
02.09.19
(सितम्बर 02 2019)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून

Shwasth
PRINCIPAL
RENAISSANCE DRON SCHOOL
DOIWALA, DEHRADUN (U.K.)

मुख्यालय पुलिस महानिदेश उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:डीजी-आठ-156 /2020(4) दिनांक: अक्टूबर 08, 2020
सेवा में,

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक
उत्तराखण्ड।

विषय:- अग्निशमन एवं आपात सेवा की विभागीय वेबसाईट www.ukfireservices.com पर आनॅलाईन प्राप्त होने वाले अग्निशमन अनापत्ति सम्बन्धी आवेदनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्या:34/XX-4/2020-01 (फायर)/2016 दिनांक 01-10-2020 के द्वारा अध्यक्ष उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 27-08-2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अवगत कराया है, कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दिनांक 22.03.2020 से 03.05.2020 तक सम्पूर्ण देश एवं उत्तराखण्ड राज्य में लॉकडाउन होने के फलस्वरूप अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग से सम्बन्धित निर्गत किये जाने वाले अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि में वृद्धि किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

निदेशानुसार उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27-04-2020 के द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग से सम्बन्धित निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण किये जाने की वैधता अवधि माह मार्च 2020 से दिनांक 30-06-2020 तक बढ़ायी गयी थी। वर्तमान में भी कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि को दिनांक 01-07-2020 से दिनांक 31.03.2021 तक बढ़ायी जाती है। तदनुसार अपने अधीनस्थ मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

We have applied for renewal and will get it soon. Due to covid the fire safety certificate is delayed

Kumar
MANAGER
RENAISSANCE DRON SCHOOL
DOIWALA, DEHRADUN (U.K.)

08/10/2020
(एनएससी नपलच्याल)

Shoachub
PRINCIPAL
RENAISSANCE DRON SCHOOL
DOIWALA, DEHRADUN (U.K.)